



पालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- १३ / 2019

तारीखरजू:- ४/१/१९

उनवान:- रामबाबू बनाम मोती वगै०

दावा बावत इस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
४.१.१९	<p>वादी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बावत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 9.8.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
११.१.१९	<p>वादी वकील द्वारा मिसल तलब कर Not Press में दावा खारिज करने का कथन किया एवं प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली तलब की गई। वादी वकील ने पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से मुकदमे में आगे कार्यवाही नहीं चलाने और खारिज करने का कथन किया। आदेशिका पर Not Press किया। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>

2558-12
8/1/19

Not Press
इ.डी.
11/1